आज़ादी का
अमृत महोत्सव

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली।

परिपत्र

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली के निदेशानुसार आप सभी को सहर्ष सूचित किया जाता है कि सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने, इसका प्रचार-प्रसार करने तथा अपना दैनिक सरकारी कामकाज राजभाषा हिन्दी में करने के प्रति कर्मचारियों में रुचि बढाने के उद्देश्य से केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुरूप **केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली के सभी कर्मचारियों के लिए** हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं.	दिनांक	प्रतियोगिता का नाम	समय	स्थान
1	14 सितम्बर, 2022	स्वरचित रचना प्रतियोगिता (कविता, कहानी, लेख, यात्रा वृत्तांत आदि)	स्वरचित रचनाएँ दिनांक 14 सितम्बर 2022, अपराह्न 01.00 बजे तक ही प्राप्त की जाएँगी।	कक्ष संख्या-238, द्वितीय तल, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2	14 सितम्बर, 2022	राजभाषा हिन्दी-सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित परीक्षा)	अपराह्न 02.30-03.30 बजे तक (एक घंटा)	कक्ष संख्या-135, प्रथम तल, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
ध्यान दें ⤇ विस्तृत जानकारी हेतु इस परिपत्र के साथ संलग्न नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ें।				

उपर्युक्त प्रतियोगिता के परिणामों की जानकारी यथासमय दी जाएगी तथा प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगियों को नियमानुसार पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए इच्छुक कर्मचारी अपना नाम **दिनांक 09 सितम्बर 2022, अपराह्न 4.00 बजे तक** निर्धारित प्रपत्र पर उचित माध्यम से राजभाषा हिन्दी अनुभाग, कक्ष संख्या-238, द्वितीय तल, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली को भेजें।

शैल जैन

(शैल जैन)

अध्यक्षा, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, केन्द्रीय जिला

जिला न्यायालय, दिल्ली।

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

संख्या 30903 - 31078/हिंदी/केन्द्रीय/238/2022 दिल्ली, दिनांक 30 AUG 2022

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु परिपत्र एवं संलग्नकों की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:–

1. सुश्री शैल जैन, माननीया अध्यक्षा, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वियन समिति, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली; श्री संजीव जैन, माननीय सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वियन समिति, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर; श्री मुकेश कुमार गुप्ता, माननीय सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वियन समिति, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, केन्द्रीय, तथा श्री हेम राज, माननीय सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वियन समिति, अति. सत्र न्यायाधीश, केन्द्रीय, जिला न्यायालय, दिल्ली।
2. समस्त माननीय न्यायिक अधिकारीगण, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी/लेखा अधिकारी, केन्द्रीय जिला, दिल्ली।
4. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) एवं अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
5. जनसूचना अधिकारी व जनसंपर्क अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. निजी सचिव, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली।
7. पेशकार, अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में।
8. संबंधित कर्मचारी, वेबसाइट/लेयर्स, इस निर्देश के साथ कि इसे जिला न्यायालय, दिल्ली की वेबसाइट/लेयर्स पर अपलोड करें।

नोटः–उपरोक्त सभी माननीय न्यायिक अधिकारीगण तथा गैर–न्यायिक अधिकारीगण इस परिपत्र से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अवश्य अवगत करवाएँ, उपर्युक्त प्रतियोगिताओं हेतु उन्हें प्रोत्साहित करें व उन्हें प्रतियोगिता के दिन तयशुदा समय पर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजें तथा इच्छुक कर्मचारियों के द्वारा भरे गए निर्धारित प्रपत्र अग्रसारित करके राजभाषा हिन्दी अनुभाग, कक्ष संख्या–238, द्वितीय तल, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली को भेजें।

– प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले इच्छुक कर्मचारी निर्धारित स्थान पर प्रतियोगिता शुरू होने से पन्द्रह मिनट पहले पहुँचे।

(मृदुल गुप्ता)
लिंक नोडल अधिकारी
राजभाषा हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जिला
प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश,
तीस हजारी न्यायालय दिल्ली।

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

राजभाषा हिन्दी अनुभाग (केन्द्रीय जिला)

कक्ष संख्या 238, द्वितीय तल,
तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
(दूरभाष : 011-23950919 विस्तार-1238)

केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय दिल्ली में आयोजित निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रपत्र:-

(क) राजभाषा हिन्दी-सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित परीक्षा), 2022

ख) स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख, यात्रा-वृत्तांत आदि) प्रतियोगिता, 2022

(नोटः एक से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कृपया अलग-अलग प्रपत्र भरें। इस प्रपत्र के सभी कॉलम अवश्य भरें, किसी भी कॉलम को रिक्त न छोड़ें।)

प्रतियोगिता का नाम ---------------------------------------

1. कर्मचारी का नाम : ---------------------------------------
2. पिता/पति का नाम : ---------------------------------------
3. पदनाम : ---------------------------------------
4. कर्मचारी कूट संख्या : ---------------------------------------
5. वर्तमान तैनाती स्थल: ---------------------------------------

   ----
6. ई-मेल पता : ---------------------------------------
7. मोबाइल नम्बर : ---------------------------------------

अग्रसारित

(कर्मचारी के हस्ताक्षर)

(अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर)
मोहर सहित

Format approved
22/8/22

आज़ादी का अमृत महोत्सव

केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली में आयोजित की जाने वाली विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं का स्वरूप व नियमावली–2022

केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आयोजित की जाने वाली विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं की श्रेणियाँ इस प्रकार हैः–

क) राजभाषा हिन्दी–सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित परीक्षा)

ख) स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख, यात्रा–वृत्तांत आदि)

उपरोक्त प्रतियोगिताओं के लिए नियमावली :–

1. इन प्रतियोगिताओं में केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय में तैनात सभी कर्मचारीगण भाग ले सकते हैं।
2. निर्धारित तारीखों पर प्रतियोगिताओं के आयोजन के समय व स्थान इत्यादि की जानकारी प्रतियोगियों को यथासमय उपलब्ध करवा दी जाएगी।
3. ये प्रतियोगिताएँ निःशुल्क हैं।
4. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक कर्मचारियों को अपने नाम नोडल अधिकारी, केन्द्रीय जिला, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय दिल्ली को उचित माध्यम से भेजने होंगे और कर्मचारी प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए बनाए गए निम्नलिखित नियमों का पालन करते हुए उसमें भाग ले सकते हैः–

राजभाषा हिन्दी–सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित परीक्षा) हेतु नियमः–

i. इस प्रतियोगिता का समय एक घंटे का होगा।
ii. इस प्रतियोगिता में राजभाषा हिन्दी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएँगे।
iii. इस परीक्षा में अंग्रेज़ी से हिंदी व हिंदी से अंग्रेज़ी अनुवाद भी सम्मिलित होगा।

स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख, यात्रा–वृत्तांत आदि) प्रेषित करने हेतु नियमः–

i. कर्मचारी अपनी स्वरचित रचना निर्धारित तारीख तक बंद लिफाफे में नोडल अधिकारी, केन्द्रीय जिला, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली को भेजेंगे।
ii. स्वरचित रचना के साथ कर्मचारी द्वारा यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि वह रचना उसकी स्वरचित रचना है जो कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई है तथा उस रचना के लिए उसने कहीं से कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है। इस प्रमाणपत्र के बिना रचना स्वीकार नहीं की जाएगी।
iii. स्वरचित रचना किसी भी जाति, धर्म, सम्प्रदाय या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली नहीं होनी चाहिए व राष्ट्रविरोधी व सरकार के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए।

5. प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित हैः–

प्रथम पुरस्कार (एक)	4000/– रुपये
द्वितीय पुरस्कार (एक)	3000/– रुपये
तृतीय पुरस्कार (एक)	2000/– रुपये
प्रोत्साहन पुरस्कार (पाँच)	800/– रुपये

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

6. उपर्युक्त विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने से लेकर पुरस्कार वितरण आदि तक की समस्त कार्यवाही संबद्ध न्यायिक जिले के नोडल अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति के नियंत्रण व देखरेख में उस जिले में स्थापित राजभाषा हिन्दी अनुभाग द्वारा की जाएगी।
7. कर्मचारी सभी प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हो सकते हैं लेकिन उन्हें पुरस्कार केवल किसी एक प्रतियोगिता में ही दिया जाएगा, जिसमें उसकी मेरिट बेहतर होगी। यदि एक से अधिक कर्मचारियों ने समान अंक प्राप्त किये हैं तो पुरस्कार राशि उनमें समान अनुपात में वितरित की जाएगी।
8. इन प्रतियोगिताओं से संबंधित किसी भी बदलाव, विवाद, शिकायत या इसके नियमों के निर्वहन आदि के बारे में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (केन्द्रीय जिला) का निर्णय ही अंतिम होगा।

29.8.22

लिंक–नोडल अधिकारी, केन्द्रीय जिला
केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।